

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग:

लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2021

विषय:-सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित हो रही परियोजनाओं के पारेषण लाइन एवं सब स्टेशन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-7139 /नेडा-एसई-215 मेगावाट/अदानी/268/2015-16 दिनांक 12 मार्च 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-70 में सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत मै0 अदानी ग्रीन इनर्जी लि0, अहमदाबाद द्वारा ग्राम-बदनपुर, तहसील-सदर, जनपद-झांसी में स्थापित की जा रही 50 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लांट से पारेषण लाइन व बे निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के आंगणन के मूल्यांकन एवं परीक्षण के उपरांत प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 15,50,03000/- की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत धनराशि की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 6,20,01,200.00 की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-73/2016/ 1385/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2016, दिनांक 29 नवम्बर, 2016 द्वारा तथा द्वितीय किश्त की 40 प्रतिशत द्वारा रू0 6,20,01,200.00/-(रू0 छः करोड़ बीस लाख एक हजार दो सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-5/2017/06/45- वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017, दि0 03 जनवरी, 2017 द्वारा निर्गत की गयी थी। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा उक्त कार्यों के सापेक्ष पुनरीक्षित आंकलन रू0 3175.47 लाख के सापेक्ष वास्तविक व्यय की धनराशि रू0 3090.35 लाख की संस्तुति अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल समिति द्वारा की गयी। अप्रेजल समिति की संस्तुति के क्रम में इकाई को पूर्व में निर्गत धनराशि रू0 1240.024 लाख को समायोजित करते हुए धनराशि रू0 1850.33 लाख निर्गत की जानी है। इस धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम कार्यदायी संस्था है। प्रायोजना का गठन यूपीपीटीसीएल के वर्ष 2016-17 के शिड्यूल आफ रेट्स के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसी के आधार पर लागत का आंकलन किया गया है।

3- प्रायोजना के अन्तर्गत टावर्स, ग्राउन्ड वायर, हार्ड वायर एण्ड इन्सुलेटर्स, कन्ट्रोल केबिल, वसवार एण्ड एन्सुलेटर्स, अर्थिंग एवं प्ले फेंसिंग आदि की लागत एकमुश्त के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। उक्त कार्य मदों की लागत को यथावत् अनुमन्य करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। प्रायोजना के निर्माण के समय यूपीनेडा द्वारा उक्त कार्य मदों की लागत का भुगतान वास्तविकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये।

4- प्रायोजना की लागत आगणन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

6- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

7- प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता एवं मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/यूपीनेडा का होगा।

8- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

9- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इसके लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाय ।

10- यूपीनेडा द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा यूपीनेडा द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

13- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

14- आंगणन में अंकित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था तथा यूपीनेडा का होगा।

15- स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखा शीर्षक-“4810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-102-सौर ऊर्जा-04-सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना-24-वृहत् निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-77/दस-2021, दिनांक 22-03-21 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (4) राज्य योजना आयोग, अनुभाग-1
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., प्रयागराज।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।